न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 84/2018 प्रार्थना पत्र
GCMS No. - 2018/00410

1. सुरेशचंद्र पिता बंशीलालजी काबरा निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेड़ा।

बनाम

1. कन्हैयालाल पिता नंदलाल जी सुनार निवासी कनेरा मृतक के वजाय–
1/1 अशोक कुमार पुत्र कन्हैयालाल जी सुनार निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेड़ा।
1/2 उमा देवी पुत्री कन्हैयालाल जी सुनार निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेड़ा।
1/3 दिलीप पुत्र कन्हैयालाल जी सुनार निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेड़ा।
1/4 जमनीबाई बेवा कन्हैयालाल जी सुनार निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेड़ा (नाम विलोपित)
1/5 राजेश पुत्र कन्हैयालाल जी सुनार निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेड़ा।
1/6 रोशनदेवी पुत्री कन्हैयालाल जी सुनार निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेड़ा।
1/7 संगीता पुत्र कन्हैयालाल जी सुनार निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेड़ा।
1/8 सरोज देवी बेवा अमरसिंह जी सुनार निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेड़ा।
1/9 भावना पुत्री अमरसिंह जी सुनार निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेड़ा।
1/10 गोविंद पुत्र अमरसिंह जी सुनार निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेड़ा।
1/11 हेमंत पुत्र अमरसिंह जी सुनार निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेड़ा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– श्री नरेन्द्र वैष्णव – अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक :– 06.08.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वाके मौजा कनेरा प०ह० कनेरा तह० निम्बाहेडा की आराजी जिसके नये खाता संख्या 981 के आराजी नं0 1496 रकबा 0.4000 हैक्टेयर भूमि स्थित है।

2. वाद ग्रस्त आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त मे चली आ रही है तथा प्रार्थी की वादग्रस्त आराजीयात जिसके पुराने आराजी नं0 817/2 ओर 818/2 कुल रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा हैं, जिनका पूराने नक्षा ट्रेस मे सही रुप से तरमीम था, तथा प्रार्थी अपने खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं. राजस्व कर्मचारियो की गलती की वजह से प्रार्थी की आराजीयात का वर्तमान नक्षा ट्रेस में गलत रुप से तरमीम कर दिया है, वर्तमान में प्रार्थी जहां पर काबिज है वह नवीन नक्षा [illegible] की आराजीयात का कुछ भाग विपक्षी नं० 1 के नाम दर्ज शुदा आराजी के स्थान [illegible] है, तथा जहां विपक्षी नं० 1 का कब्जा चला आ रहा है वह भूमि [illegible] गलत तरमीम कर दी गई है। जबकि प्रार्थी का मौके पर [illegible] चला आ रहा है, उक्त आराजीयात को पुराने नक्षे अनुसार [illegible] तरमीम नही कर, नवीन [illegible] में गलत रुप से अंकित कर गलत तरमीम कर दिया है। इ[illegible] उक्त नवीन नक्शाट्रेस में [illegible] प्रार्थी के मौके पर काबिज अनुसार पुराने नक्षे अनुसार अंकन कर नवीन नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरुस्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:43:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1/1 से 1/11 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी। विपक्षी संख्या 2 तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा अनुशंषा मय जांच रिपोर्ट इस न्यायालय हाजा को प्रस्तुत की जो बिन्दुवार निम्नानुसार है:–

प्रार्थी सुरेशचंद्र पिता बंशीलाल काबरा निवासी कनेरा की आराजी नंबर 1496 रकाब 0.40 हैक्टेयर भूमि व आराजी नंबर 1497 रकबा 0.81 हैक्टेयर भूमि की मौके की स्थिति निम्नानुसार हैं–

क्र.सं	नाम ग्राम	आराजी नंबर	रकबा	नाम खातेदार (रिकॉर्ड की स्थिति)	नाम खातेदारान व रकबा (मौके की स्थिति)
1	कनेरा	1496	0.40	श्री सुरेशचंद्र पिता बंशीलाल काबरा सा. कनेरा	1 श्री सुरेशचंद्र पिता बंशीलाल काबरा निवासी कनेरा रकवा 0.19 2 श्री अशोक कुमार वगै.द रकबा 0.21
2	कनेरा	1497	0.81	श्री अशोक कुमार ,राजेश, उमादेवी, रोशनदेवी, संगीती दिलिप पिता कन्हैयालाल निवासी कनेरा, हेमंत, गोविंद, भावना पिता अमरसिंह, सरोजदेवी पत्नी अमरसिंह सुनार सा. कनेरा	1 श्री सुरेशचंद्र पिता बंशीलाल काबरा निवासी कनेरा रकवा 0.21 2 श्री अशोककुमार वगै सुनार निवासी कनेरा रकबा 0.60

5. दोंनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।

6. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> ***136. Correction of errors. -** The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:*
>
> *Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties*

एवं

> धारा 131 में मानचित्र [illegible] का संधारण **(Maintenance)** – सर्वेक्षण तथा [illegible] कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात् भू–[illegible] द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के [illegible] तथा फील्ड बुक रखी जाएगी वह प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येक गाँव या [illegible] के भाग, भू–सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्ड बुक में की गई बतलाई जावे, सही करेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:43:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

8. प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट एवं बहस में प्रकट तथ्यों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि वादग्रस्त आराजियात वाके मौजा कनेरा प०ह० कनेरा तह० निम्बाहेडा की आराजी जिसके नये खाता संख्या 981 के आराजी नं0 1496 रकबा 0.4000 हैक्टेयर भूमि के नक्शा ट्रेस में तहसीलदार निम्बाहेडा की प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार गलत रूप से तरमीम होना पाया गया है । तहसीलदार निम्बाहेडा से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त नवीन नवीन नक्षा ट्रेस में तरमीम मौके पर काबिज अनुसार एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार नवीन नक्शा ट्रेस व वर्तमान जमाबन्दी में इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

तहसीलदार निम्बाहेड़ा से मय अभिशंषा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू0 राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि वाके मौजा कनेरा प०ह० कनेरा तह० निम्बाहेडा की आराजी जिसके नये खाता संख्या 981 के आराजी नं0 1496 रकबा 0.4000 हैक्टेयर भूमि के नक्शा ट्रेस में दुरूस्त कर वर्तमान नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किए जाने का आदेश दिये जाते है तथा निम्नानुसार संशोधन के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम की जावें। नक्शा ट्रेस निर्णय का अभिन्न रहेगा।

क्र.सं	नाम ग्राम	आराजी नंबर	रकबा	नाम खातेदार (रिकॉर्ड की स्थिति)	नाम खातेदारान व रकबा (मौके व स्थिति)
1	कनेरा	1496	0.40	श्री सुरेशचंद्र पिता बंशीलाल काबरा सा. कनेरा	1 श्री सुरेशचंद्र पिता बंशीलाल काबरा निवासी कनेरा रकबा 0.19 2 श्री अशोक कुमार वगै.द रकबा 0.21
2	कनेरा	1497	0.81	श्री अशोक कुमार ,राजेश, उमादेवी, रोशनदेवी, संगीती दिलिप पिता कन्हैयालाल निवासी कनेरा, हेमंत, गोविंद, भावना पिता अमरसिंह, सरोजदेवी पत्नी अमरसिंह सुनार सा. कनेरा	1 श्री सुरेशचंद्र पिता बंशीलाल काबरा निवासी कनेरा रकबा 0.21 2 श्री अशोककुमार वगै सुनार निवासी कनेरा रकबा 0.60

उपर्युक्तानुसार संशोधित प्रस्तावित हिस्सा अंकित अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम की जावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:43:00 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचौली)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा
सहायक कलेक्टर
निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner